फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

अशोक कुमार बनाम उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी व अन्य

केस संख्या 138 / 2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.04.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन कुडी उपस्थित है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी की पीठासीन अधिकारी श्रीमती सृष्टी जैन का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16 / 2021 व उनवानी राजीव वर्मा बनाम अशोक कुमार व अन्य में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती सृष्टी जैन से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती सृष्टी जैन का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अतः उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (राजन विशाल) जिला कलक्टर जयपुर	आज्ञा उमेश चन्द्र शर्मा (A) 18/4/22